

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अरपा-भैंसाझार वृहद बैराज परियोजना की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 13.02.2015 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे स्थान ग्राम -भैंसाझार, विकासखण्ड एवं तहसील कोटा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई. आई. ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अरपा-भैंसाझार वृहद बैराज परियोजना की स्थापना के लिए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के परिपेक्ष्य में कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा जन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 13.02.2015 दिन शुक्रवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे स्थान ग्राम -भैंसाझार, विकासखण्ड एवं तहसील कोटा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.) में श्री नीलकंठ टेकाम, अपर कलेक्टर, बिलासपुर की अध्यक्षता एवं श्री बी. एस. ठाकुर, क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की सहभागिता में लोक सुनवाई पूर्वान्ह 11:00 बजे प्रारंभ की गई।

अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधियों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जन सुनवाई के महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लोक सुनवाई के संबंध में छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही से जनसामान्य को अवगत कराया गया एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की विधिवत घोषणा की गई। साथ ही यह व्यवस्था दी गई कि लोक सुनवाई में सभी इच्छुक वक्ताओं को अपनी राय, सुझाव, विचार तथा आपत्तियां रखने के लिए पूरा-पूरा अवसर दिया जावेगा तथा सभी वक्ताओं के बोलने के पश्चात् ही लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की जावेगी। साथ ही यह भी समझाईश दी गई कि जब वक्ता अपना वक्तव्य दे रहे हो तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति व्यवधान न डाले व कोई टीका-टिप्पणी न करें, तथा शांति व्यवस्था बनाई रखी जावे। यह भी बताया गया कि जो कोई व्यक्ति लिखित में अपना विचार, सुझाव, सहमति व आपत्ति आदि देना चाहे तो वे दे सकते हैं। ऐसे लिखित में प्राप्त सुझाव, विचार, टीका-टिप्पणियां की अभिस्वीकृति छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, के क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दी जावेगी तथा उसे अभिलेख में लाया जावेगा।

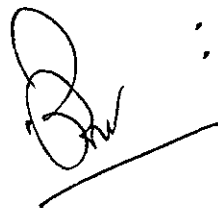
इसके पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अरपा-भैंसाझार वृहद बैराज परियोजना के कार्यपालन अभियंता को वृहद बैराज परियोजना के

संबंध में सामान्य जानकारी के साथ पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में किये गये आंकलन की जानकारी से उपस्थित जनसामान्य को अवगत कराने का निर्देश दिया गया ।

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अरपा-भैंसाझार वृहद बैराज परियोजना के कार्यपालन अभियंता श्री आर. एस. नायडू द्वारा प्रस्तावित वृहद बैराज परियोजना के संबंध में जनसामान्य को संभावित पर्यावरणीय स्थिति की जानकारी दी गई ।

तत्पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अरपा-भैंसाझार वृहद बैराज परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका टिपणी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया । जन सुनवाई में आसपास के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय जन सुनवाई में एक-एक कर अपना सुझाव, विचार, टीका टिपणी एवं आपत्तियां रखे । जन सामान्य द्वारा निम्नानुसार सुझाव, विचार, टीका टिपणी एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई :-

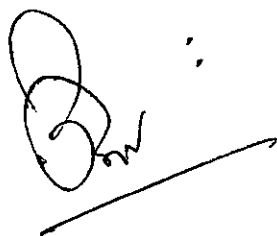
1. श्री लक्ष्मी प्रसाद कौशिक, ग्राम-पेण्डारी :- पेण्डारी गांव में 90 प्रतिशत जमीन बिल्डर्स लोग खरीद चुके हैं । जमीन मात्र 10 प्रतिशत बचा है । जो किसान लोग अजीविका के लिए रखे हुये हैं । ग्राम-भैंसाझार में जो नहर बन रहा है उसमें किसानों की जमीन को ले रहे हैं एवं बिल्डर की जमीन को बचाया जा रहा है पहले जो सर्वे हुआ था बिल्डर की जमीन का हुआ था । बाद में मिलीभगत होकर के उस सर्वे को हटाकर के किसानों की जमीन को लिया जा रहा है । हमारा सुझाव यही है नहर की जो लंबाई है 3-4 कि.मी. है वह छोटी हो जायेगी । मेरा सुझाव यही है कि पेण्डारी गांव में जो नहर है । उसी का उपयोग भैंसाझार परियोजना में किया जाये, जिससे किसानों की जमीन बच जायेगी एवं शासन को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा ।
2. श्री पोकल सिंह मरावी, ग्राम-बछालीखुर्द :- इस परियोजना के अंतर्गत 102 गांव है, जिसमें जल की व्यवस्था किया जाये । यदि हमारे गांव में बाढ़ आती है तो उससे बचने के लिए क्या व्यवस्था होगी, एवं प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी । भैंसाझार परियोजना आने पर बोला जा रहा है कि 03 गांव डुबेगा (प्रभावित होगा) तो उसका क्या व्यवस्था की जायेगी । लागो के रहने के लिये व्यवस्था होना चाहिए, मेढ भी होना चाहिए और यदि नहीं हो पाया तो ये जनता कहां जायेगी । इसके लिए ऐसा व्यवस्था किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण दो फसल ले सके ।



3. श्री अश्वनी कुमार धुर्वे, सरपंच ग्राम पंचायत भैंसाझार कोटा :- जैसा कि हमारे अरपा बैराज आने पर जमीन जल भराव से प्रभावित हो रहा है, कुछ किसानों का निजी भूमि उस भराव से प्रभावित होगी एवं साथ ही साथ मुर्दावली, चारागाह और श्मशान भी जल भराव से प्रभावित हो रहा है। और हमारे को अनेक प्रकार की समस्या आ रही है। इस समस्या को निवारण करने के लिये आप हमें क्या सुविधा प्रदान करेंगे। और जो हमारी आर्थिक असुविधा हो रही है उसे सुविधा प्रदान करेंगे। इस बांध के बनने से हमारे गांव की जो जल स्तर उपर आयेगी, साथ ही साथ हमें लाभ भी होगा और हानि भी होगी। इसका हमें सामना भी करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे गांव के नगरवासीयों के लिए मकान बनाने के लिए जमीन की बहुत ही आवश्यकता हो रही है। इस भराव से हम अपनी जमीन भी नहीं बना पा रहे हैं और न घर भी, तो हमें आप बताये कि हम अपनी जमीन एवं मकान कहां बनाये। क्योंकि हमारे गांव की जनसंख्या दिनो दिन बढ़ते क्रम में है। और इस असुविधा के कारण हम बस्ती के अंदर भीड़-भाड़ से ही जीवन यापन कर रहे हैं। हम समस्त ग्रामवासीयों के लिए कुछ विकल्प प्रस्तुत करें। हमारे ग्राम पंचायत से जो आवेदन बना है उसे स्वीकार करें।
4. श्री सूर्यभान सिंह भूतपूर्व सरपंच, ग्राम-बिल्लीबंद:- आज जो अरपा परियोजना बनने जा रहा है और बनने से जो पानी भराव होगा। उसमें जल स्तर उपर होगा। प्राकृतिक पेड़-पौधे हैं उससे भी हमें फायदा होगा। और यहां से जो ग्राम-बिल्लीबंद है 12-13 कि०मी० उसमें भी पानी भराव होगा। बोलना चाहूंगा कि उस पानी से हमारे किसान लोग को फायदा तो मिलेगा। उस फायदा को हम डायरेक्ट खेत में नहीं ले जा सकते हैं इसके लिए गरीब किसानों कुछ मशीन की आवश्यकता होगी। गरीब किसान तो कुछ मछली पालन करेंगे, मछली पालन करने के लिए गरीब किसान लोग धंधा करेंगे। जो आज फारेस्ट के तरफ से गरीब लोग को पट्टा दिया गया है। हो सकता है डुबान में आ सकता है। उस पट्टा को गरीब किसान को यथावत रखा जाये। या उस गरीब को अपने जीवन यापन के लिए सही जमीन देने हेतु शासन को अनुरोध करूंगा कि उनका जमीन मिले। आज सौभाग्य है कि इतना बड़ा परियोजना भैंसाझार सभी के सहयोग से बनता है तो स्वभाविक है कि हम गरीबों को रोजगार मिलेगा। बहुत सारा विकास भी होगा, नुकसान भी होता है। आपका सहयोग मिला तो भैंसाझार परियोजना जरूर बनेगा। यहां पर अनुरोध करूंगा कि ये सब चीज को देखते हुए किसानों को उनकी भूमि का सही रेट दिला करके अवगत करावे। यही मेरी सोच है कि परियोजना बनना चाहिए।
5. श्री रामहरी बिरकों बाकीघाट, सरपंच कलारतराई :- मेरा कहना है कि ये गांव जो जागीपुर से अरपा भैंसाझार की नहर जा रही हैं। उसमें भी कुछ हमारा जमीन फंसा हुआ

248
है। जैसा कि हमारे पूर्वज पलास के पेड़ों में लाख की खेती करते हैं। उसमें हमारा जीवन यापन होता है तो पलास के पेड़ों के लिए मुआवजा है कि नहीं। जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि नहर जा रहा है उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, मुआवजा कितने दिनों में मिलेगा।

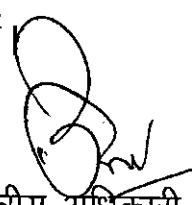
6. **श्री प्रेमचंद जैन :-**हमारे किसानों को बिना मुआवजा दिये बेखौफ नहर खुदाई चल रही है न कोई किसानों से सहमति लिया जा रहा है। न कोई प्रकरण तैयार किया गया है। और न कोई मुआवजा दिया गया है और बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा रोड़ की खुदाई की जा रही है। किसानों की जमीन को भी खोद रहे हैं। नहर का निर्माण बेधड़क तरीके से चालू हो गया है। किसान पैतृक संपत्ति से जीवन यापन करता है। किसान खेती के सहारे जीवन यापन करते हैं। जमीन का मुआवजा आइने की तरह साफ होना चाहिए। तो किसानों की जमीन लेने हेतु सहमति लिया जाये। उसकी इच्छानुसार जमीन का मुआवजा एवं राशि निर्धारण की जाये। अभी पूर्व में बांकीघाट डेम तैयार हो गया है। वो पूर्णतः की ओर है। किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है। मैं भी एक किसान हूँ मेरा 1.68 डिसमिल जमीन अधिग्रहित की गई है। दो बार नोटिस मिल चुका है। पंचायत चुनाव एवं विधानसभा चुनाव में धारा लगने के कारण कार्यवाही नहीं हुआ है। डेम तैयार हो चुका है तो भी भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। डेम तैयार हो गया है तो मुआवजा का प्रकरण तैयार करें। किसानों की सहमति/गांव वालों की सहमति से कार्य करें।
7. **श्री भारत सिंह खुर्सेंगा, ग्राम-भैंसाझार :-**अरपा भैंसाझार बैराज जो बन रहा है। उससे हमें फायदा होगा, और हमारा लगानी जमीन है जो डूब रही है उसका जो भी मुआवजा है तत्काल दिया जाये। हमारा गांव भैंसाझार सुखा की स्थिति में रहता है। हमारे यहां से बैराज बनने से अन्य विकासखण्ड में सिंचाई करेंगे। लेकिन हमारे भैंसाझार गांव में ऐसा क्या प्रावधान किया गया है जिससे नहर के द्वारा हमारे खेतों में सिंचाई करेंगे। कृपया आप हमारा ध्यान भी आकर्षित करेंगे।
8. **श्री भगवान सिंह बिंझवार, ग्राम-उमरमरा नवापारा :-**हमारे गांव में उमरमरा में सिंचाई हेतु नहर बन रहा है। जो हम किसानों की जमीन में नहर बन रहा है उसका मुआवजा नहीं मिला है। हम सभी को मुआवजा दिया जाये, आज तक हमारा मुआवजा नहीं मिला है, न ही हमें कोई जानकारी मिली है। और हम चाहते हैं कि शासन से मुआवजा मिलना चाहिए। उमरमरा एवं भैंसाझार में योजना बने। उद्ववन सिंचाई के माध्यम से हमें सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे हमारे किसानों का तरक्की हो यही मैं शासन से चाहता हूँ।

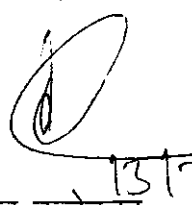


9. श्री दीपक रजक, ग्राम-उमरमरा पूर्व जिला पंचायत सदस्य :- इसमें मैं एक ही सुझाव रखना चाहूंगा कि जो हमारे प्रभावित गांव है उन गांव में आज सिंचाई का साधन नहीं है इतना बड़ा बैराज बनेगा। बैराज के बनने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे गांव में अधिकांश भूमि टिकरा एवं भर्री है आप लोगो से यही अनुरोध करूंगा कि हमारे गांव के लोगों को लाभ मिले। और सिंचाई विभाग की ओर से उद्वहन सिंचाई के माध्यम से सिंचाई सुविधा दी जावे। एवं जिनकी गांव की भूमि डुबान में आ रही है। उन गांव में उद्वहन सिंचाई के माध्यम से सिंचाई की सुविधा दी जाती है, तो इसमें भी प्रभावित गांव है वो लभान्वित होंगे। तो आपसे यही आशा करता हूँ कि उद्वहन सिंचाई की सुविधा दी जावे और सिंचाई का लाभ मिले।

अपर कलेक्टर/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला-बिलासपुर द्वारा जन सामान्य को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के पूर्व निर्धारित अवधि में क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तावित वृहद् बैराज परियोजना के संबंध में एक मात्र एवं लोक सुनवाई दिनांक 13.02.2015 के दौरान 06 लिखित में आपत्ति/सुझाव/विचार प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार कुल 07 लिखित में आपत्ति/सुझाव/विचार प्राप्त हुए एवं लोक सुनवाई के दौरान लगभग 140 जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसमें से 09 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित वृहद् बैराज परियोजना स्थापना के संबंध में अपना सुझाव/विचार एवं आपत्तियां व्यक्त की गई। सम्पूर्ण लोक सुनवाई कार्यक्रम की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई है। जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से 97 लोगों द्वारा अपनी उपस्थिति, लोक सुनवाई उपस्थिति पत्रक में दर्ज कराई गई है।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के समापन पर अपर कलेक्टर/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर द्वारा उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई में उपस्थित होने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही के समापन की घोषणा की गई।


क्षेत्रीय अधिकारी, 13/2/15
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर (छ.ग.)


अपर कलेक्टर
जिला बिलासपुर (छ.ग.)